प्रेस विज्ञप्ति

03.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड, इसके निदेशकों प्रणव गुप्ता, विनीत गुप्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरजीत कुमार बंसल के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष 26/12/2023 को अभियोजन शिकायत दर्ज किया। माननीय विशेष न्यायालय ने 03/02/2024 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया।

प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड, इसके प्रमोटर निदेशक प्रणव गुप्ता, विनीत गुप्ता और अन्य के विरुद्ध आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला कि 2009 से 2014 की अवधि के दौरान मैसर्स पैराबोलिक ड्रग लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 1626.7 करोड़ रुपए की अनुचित हानि पहुंचाई।

जांच के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत मैसर्स पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड, उनके निदेशकों, प्रमुख पदाधिकारियों, अपराध की आय के लाभार्थियों और एंट्री ऑपरेटरों के विरुद्ध चंडीगढ़, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, मुंबई और दिल्ली में स्थित लगभग 29 परिसरों पर 27-10-2023 और 15-12-2023 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के परिणामस्वरूप लगभग 114 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां, डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद हुए। तदोपरांत, मैसर्स पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड के प्रणव गुप्ता, विनीत गुप्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट एसके बंसल को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।